140/16 मगाराम / [illegible]

31.5.17 वकील प्रार्थी अनु। विप्रार्थीगण की तलबी का इन्तजार होकर मिसल 7.6.2017 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान मे अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खारा महेचान मे पेश हुई। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अनु.। पक्षकारान को जारी राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होने बाबत नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खारा महेचान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.140/2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.मगाराम पुत्र धुड़ाराम		1.नवलाराम पुत्र वागाराम
2.जेठाराम पुत्र उदाराम		2.करनाराम पुत्र किशनाराम
3.माडू बेवा उदाराम		3.मागाराम पुत्र आदुराम
4.सेराराम		4.जुंजाराम
5.तुलछाराम पिसरान धुड़ाराम		5.राणाराम
जति जाट निवासी बाण्ड़ानाड़ा,चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।		6.भैराराम पिसरान फुआराम
		7.खंगाराराम पुत्र रामाराम
		8.चोखाराम पुत्र नैनाराम
		9.जेमाराम पुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी बाण्डानाड़ा,चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी
		10.गीगीदेवी पत्नि बुधसिह
		11.भवंरसिह पुत्र रूपसिह
		12.भैरसिह पुत्र रूपसिह जाति राजपुत निवासी–बाण्डानाड़ा,चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी ★ सिणधरी ★

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक–07.6.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बाण्ड़ानाड़ा पटवार क्षेत्र चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 27 रकबा 50–18 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बाण्ड़ानाड़ा पटवार क्षेत्र चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 27 रकबा 50–18 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता एवं विप्रार्थीगण के हाजिर नही होने के कारण प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

3.हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम बाण्ड़ानाड़ा पटवार क्षेत्र चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 27 रकबा 50–18 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम बाण्ड़ानाड़ा पटवार क्षेत्र चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 27 रकबा 50—18 बीघा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

07/6/12

(नाथूसिंह राठोड़)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

07/6/12

(नाथूसिंह राठोड़)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner